26 आयकर की दरें

Rate of Inocme Tax

1. व्यक्ति (Individual), अविभाजित हिन्दु परिवार (HUF), BOI व्यक्तियों के समूह (AOP) के लिए

(अ) आयकर की दरें (Rates of Income Tax) :– आयकर की दरें 2015–16 के लिए निम्नानुसार है :–

करदाता की श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए		वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए	
व्यक्तियों के लिये	करयोग्य आय रू.2,50,000 तक	निरंक	करयोग्य आय रू. 2,50,000 तक	निरंक
	2,50,001 से 5,00,000 तक	10%	2,50,001 से 5,00,000 तक	10%
	5,00,001 से 10,00,000 तक	20%	5,00,001 से 10,00,000 तक	20%
	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%
वरिष्ठ नागरिकों के लिये (60 वर्ष या अधिक उम्र)	करयोग्य आय रू.3,00,000 तक	निरंक	करयोग्य आय रू.3,00,000 तक	निरंक
	3,00,001 से 5,00,000 तक	10%	3,00,001 से 5,00,000 तक	10%
	5,00,001 से 8,00,000 तक	20%	5,00,001 से 10,00,000 तक	20%
	8,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%
अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या अधिक उम्र)	करयोग्य आय रू. 5,00,000 तक	निरंक	करयोग्य आय रू. 5,00,000 तक	निरंक
	5,00,001 से 8,00,000 तक	20%	5,00,001 से 10,00,000 तक	20%
	8,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%

*यहां पर कुल आय में निम्न आय सम्मिलित नही है इन पर आयकर की विशेष दरें निम्नानुसार निर्धारित है :–

i. शेयरों एवं इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड के यूनिटों क अंतरण (Transfer) से होने वाले अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ — 15% (धारा 111A के तहत) (केवल निवेशको के लिये)

ii. दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ — 20% (धारा 111 के तहत)

iii. लाटरी, क्रासवर्ड, घुडदौड़ या अन्य किसी प्रतियोगिता में प्राप्त आय — 30% (धारा 111(BB) के तहत)

(ब) सरचार्ज की दर–वित्तीय वर्ष 2015–16 से 15 % की दर से यदि करयोग्य आय 1 करोड से अधिक हो।

(स) सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी एजूकेशन सेस : वित्तीय वर्ष 2007–08 से कुल देय आयकर पर 3% (2% + 1%) की दर से शिक्षण सेस देय है।

(द) आयकर से छूट – व्यक्ति करदाता जिसकी करयोग्य आय 5 लाख रू तक है, उसे वित्तीय वर्ष 2014–15 से रू 5000 या वास्तविक देय आयकर की राशि, जो कम हो, की धारा 87 ए के तहत छूट मिलेगी।

2. साझेदारी (Partnership firm) व घरेंलू कंपनी (Domestic Company) के लिए

(अ) आयकर की दरें – यदि कोई कटौति क्लेम न करें, तो घरेलू उत्पादन कंपनी के लिए 25 प्रतिशत तथा यदि 2014–15 में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा न हो तो 29 प्रतिशत अन्यथा 30 प्रतिशत।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट, ए.एम.टी) – एक समान दर 18.5 % की दर से देय।

(ब) सरचार्ज की दर :– फर्मं – 12 % की दर से यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक हो तो।
घरेलू कम्पनी – 7% की दर से यदि कर योग्य आय 1–10 करोड़ रूपए हो तो।
– 12% की दर से यदि कर योग्य आय 10 करोड़ से अधिक हो तो।

(स) सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी एजूकेशन सेस :– वित्तीय वर्ष 2007–08 से कुल देय आयकर (सरचार्ज सहित) पर 3% (2% + 1%) की दर से शिक्षण सेस देय है।

3. विदेशी कंपनी (Foreign Company) के लिए

(अ) आयकर की दरें – एक समान दर 40 % से देय।

(ब) सरचार्ज की दर – 2 % की दर से यदि कर योग्य आय 1 करोड़ रूपए से अधिक हो तो।
5 % की दर से यदि कर योग्य आय 5 करोड़ रूपए से अधिक हो तो।

(स) सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी एजूकेशन सेस : कुल देय आयकर (सरचार्ज सहित) पर 3% (2% + 1%)

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:36 PM